

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/सी-5/स्थानांतरण-पदस्थापन/2018 दिनांक 24.07.2018 द्वारा सीमा कुमारी भीमवाल व्याख्याता (समाजशास्त्र) राउमावि विधाणी सांगानेर, जयपुर का स्थानांतरण सांवरदा दूदू, जिला जयपुर किया गया था।

उक्त आदेश के विरुद्ध सीमा कुमारी भीमवाल द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. सिविल याचिका 20571/2018 सीमा कुमारी भीमवाल बनाम सरकार दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2018 द्वारा आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.07.2018 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के आगामी आदेशों तक स्थगित किया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त याचिका में अन्तिम निर्णय के अध्याधीन सीमा कुमारी भीमवाल राउमावि विधाणी सांगानेर, जयपुर में व्याख्याता (समाजशास्त्र) के पद पर यथावत कार्यरत रहेगी। साथ ही विधालय में व्याख्याता (समाजशास्त्र) के स्वीकृत 01 पद के विरुद्ध दोहरा पदस्थापन हो जाने के कारण श्री मती हंसा शर्मा व्याख्याता (समाजशास्त्र) को शासन के निर्देशानुसार राज्य हित एवं छात्र हित में उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय में पारित अन्तिम निर्णय के अध्याधीन राजकीय उमावि सांवरदा दूदू, जिला जयपुर में पदस्थापित किया जाता है।

संबंधित संस्थाप्रधान उक्त आदेश की अनुपालना अविलम्ब सुनिश्चित कर निदेशालय को अवगत करावें।



(नथमल डिडेल)

आई०ए०एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 18-09-2018

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/कोर्ट केस/सी-5/याचिका/20571/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, सम्बंधित
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा-जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित संस्था प्रधान।
8. संबंधित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
9. निजी /रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर